परसेंट ओवर-आल है। . . . (व्यवधान) . शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिला कर यह हो जाता है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में कुछ विशेष परेशानियां हैं।

श्री सूरज भान: यह क्लास फोर को मिलाकर होता है, क्लास वन और क्लास टू में नहीं है।

श्री शांति भूषण: मैंने कहा कि ओवर-आल ज्यादा बैकलाग नहीं है। लेकिन कुछ वर्गों में जरूर बैकलाग है और उनमें उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने कहा पिछले चार महीने में जो क्लास वन और क्लास टू का रेक्रूटमेंट किया गया है उसमें वह कोटे से कहीं ज्यादा 22 और 21 परसेंट किया है। अगर इसी तरह से हमारी कोशिश कामयाब होती रही तो हम समझते हैं कि क्लास वन और क्लास टू में भी हम कोटा पूरा कर लेंगे।

शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कुछ परेशानी है क्योंकि जो योग्यता क्लास वन और क्लास टू के लिए निर्धारित है उस योग्यता के नहीं मिलते हैं तो हमें परेशानी होती है।

MR. SPEAKER: I am going to allow two hours discussion and in that discussion mainly the Scheduled Castes and Scheduled Tribe Members and those who have not hitherto got any opportunity would participate.

SHRI A. BALA PAJANOR: You have allowed a 2-hour discussion on this. But here we want to get information from the hon. Minister. We cannot get this information later on.

Payment of Income Tax Arrears by I.O.C. and other Concerns

+

*726. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:

SHRI PRADYUMNA BAL:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the amount of income-tax arrears outstanding against the Indian Oil Corporation and other bodies under the administrative control of his Ministry;

(b) the period since when this amount is due and the reasons for non-payment; and

(c) efforts made to see that the payment of income-tax arrears is made immediately by these concerns?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c). Certain income-tax demands against taken over Undertakings relating to the period when these were in the private sector, have not yet been paid on account of stays granted by Courts/Tax Authorities, or finalisation of assessments. Details of companies and amounts are given in the statement laid on the Table of the House. In addition, there is a demand of Rs. 18.76 lakhs against Balmer Lawrie & Co. for the year 1973-74 which has not been paid pending finalisation of assessment of 1972-73.

Other Undertakings including Indian Oil Corporation Limited have reported that no amount of income-tax arrears are outstanding against them.

Statement

S. No.	Name of Company	Amount of income-tax demand pending	Period to which demand relates.	Reasons for non-payment
1	2	3	4	5
1	M/s. Hindustan Petroleum Corporation Limited.	Rs. 120 lakhs (approx.)	Rs. 3·23 lakhs relates to 1959-60 and Rs. 117 lakhs (approx.) relates to 1962-63 and 1963-64.	These demand relate to ESSO Standard Refining Company and ESSO Eastern Inc. Recovery of Rs. 3·23 lakhs has been withheld pending disposal of appeal before the Appellate Assistant Commissioner. For the balance amount, the High Court granted injunction against recovery till the writ petition filed by aforesaid parties is disposed of.
2	M/s. Bharat Refineries Ltd.	Rs. 15·76 lakhs.	1973-74	This relates to Burmah-Shell Oil Storage and Distributing Co. of India Limited. Recovery stayed by income-tax authorities pending disposal of appeal.
3	M/s. Caltex Oil Refining (India) Ltd.	Rs. 74·30 lakhs.	Rs. 5·44 lakhs relates to 1967-68, 1970-71, 1971-72 and 1974-75 and Rs. 68·86 lakhs relates to 1974-75.	The demand of Rs. 5·44 lakhs relates to Caltex Oil Refining (India) Limited and of Rs. 68·86 lakhs relates to Caltex (India) Ltd. Recovery of tax has been stayed by tax authorities pending decisions in appeal.
4	Balmer-Lawrie & Co. Ltd.	Rs. 8·00 lakhs	Rs. 3·96 lakhs relates to period from 1961 to 1970 and Rs. 4·04 lakhs to period from 1962—1971.	The demand of Rs. 3·96 lakhs relates to Steel Containers Limited and of Rs. 4·04 lakhs relates to Industrial Container Limited. These companies have been amalgamated with Balmer Lawrie and Co. Limited. Payment is pending finalisation of assessments and issue of demand notices by Income Tax authorities for net dues for the entire period.

श्री शंकरसिंहजी वाघेला : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे मालूम होता है कि सरकारी कम्पनियों की आय-कर देने के मामले में हालत काफी खराब है, जब सरकारी कम्पनियों की यह हालत है तो निजी कम्पनियों का तो पता ही नहीं । यह बड़े दुख की बात है कि हमारे मंत्री जी भी आय-कर के बकाये से बचे नहीं हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकारी कम्पनियों ने आय-कर के लिए जो स्टे-आर्डर लिये हैं, उनके क्या कारण हैं तथा 15—16 साल से जो आय-कर बकाया चला आ रहा है, इसका फैसला न करने के लिए कौन दोषी है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, पहली बात तो मैं माननीय सदस्य से विनम्रतापूर्वक यह कह दूं कि सरकारी कम्पनियों पर टैक्स का कोई बकाया नहीं है, इसलिए वे इस गलतफहमी में न रहें कि सरकारी कम्पनियों की तरफ कोई टैक्स बाकी है । . .

श्री शंकरसिंहजी वाघेला : : अखबारों में इसकी काफी चर्चा आ रही है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं अखबार को छापने वाला नहीं हूं । प्रजातन्त्र में अखबारों पर प्रीसेंन्सरशिप नहीं होती है और आप भी नहीं चाहते हैं कि उन पर प्रीसेन्सरशिप रहे, वरना गलत बात छापने से रोका जा सकता है । लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को इतना बतला दूं कि यह बकाया हमारी सरकारी कम्पनियों की तरफ बाकी नहीं है । जैसे हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन की तरफ जो बकाया है, वह उस वक्त का बकाया है, जब हमने इसको नहीं लिया था, उस जमाने का है । उस जमाने के कम्पनी के प्रतिनिधि अपना मुकदमा लड़ रहे हैं । इन्कम टैक्स का एपेलेट ट्रिबुनल, जो फाइनेन्स मिनिस्ट्री के मातहत है, कोर्ट की तरह से काम करता है—वहां यह मुकदमा चल रहा है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमें यह रुपया नहीं देना है, जो भी देनदारी है वह पुरानी एस्सो कम्पनी की है और जो भी फैसला होगा, यह रुपया उनके खाते से जायेगा, सरकार पर इसका कोई बोझ नहीं है ।

श्री शंकरसिंहजी वाघेला : जो प्राइवेट कम्पनीज सरकारी कम्पनी बन गई हैं इनमें तो सिर्फ पेपर-एन्ट्री इधर से उधर करनी है, तब फिर इतनी देर क्यों हो रही है और कब तक इसका फैसला हो जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : पेपर एन्ट्री इधर से उधर नहीं करनी है, पुरानी एस्सो कम्पनी के हिसाब से यह रुपया सरकारी खजाने में जाना है । एस्सो कम्पनी एक निश्चित तारीख तक प्राइवेट कम्पनी थी, उसके बाद सरकारी कम्पनी बनी, तो जिस तारीख तक वह सरकारी कम्पनी नहीं थी, उस तारीख तक का बकाया उस पुरानी कम्पनी के खाते से जाएगा ।

SHRI PRADYUMNA BAL: On July 8, the Finance Minister in this House, in answer to a question, tabled a document in which it is mentioned that income-tax arrears against the Indian Oil Corporation are to the tune of Rs. 18.10 crores. I would like to know from the hon. Minister whether the Finance Minister is right or, when he says that there are no income-tax arrears pending against any of the public sector oil companies, he is right.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I wish the hon. Member who has put this question had referred to me. He is referring to a reply made by my colleague. I cannot say what reply has been given by my colleague because the papers are not before me. I am making a clear statement on the floor of this House and there can be a breach of privilege against me if I hide anything from the House. I am re-emphasising that there is not a penny against the Indian Oil Company or any of the Government undertakings which is in arrears. I quite know and therefore

all I say today is that we owe nothing, so far as the nationalised sector is concerned.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister knows that this Company and other companies maintain double accounts. One is the real account and the other is the ghost account. What steps Government has taken to unearth it, because the account which is kept in these books.....?

MR. SPEAKER: May not ari.

SHRI K. A. RAJAN: In the statement made by the hon. Minister, there is a catagorical mention about the undermining of the public sector or something like that. Will the hon. Minister take steps to see that the public sector is not undermined by the vested interests?

SHRI SONU SINGH PATIL: Will the hon. Minister clarify whether Government has taken any effective steps to vacate the stay; if not, why not?

SHRI H. N. BAHUGUNA: It is for the Ministry of Finance to tell about it. My Ministry does not deal with this litigation.

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने प्राइवेट कम्पनियों को टेक ओवर किया, तो उस वक्त उनके जिम्मे जो इनकम टैक्स वगैरह बाकी थे, क्या उसने उनका हिसाब कर लिया था और उन्हें कम्पेन्सेशन से काट लिया था या नहीं, या अब सरकार को वह बकाया देना पड़ेगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उसका पूरा बन्दोबस्त है । घबराने की कोई बात नहीं है ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: May I know from the hon. Minister, when he said that nothing was outstanding, whether it was on the basis of a completed assessment or upto the year for which the assessment has been made because the question of outstanding will depend on that?

SHRI H. N. BAHUGUNA: There were certain demands and completed assessments with regard to certain years. The Income Tax Officer had assessed the Indian Oil Company in a particular year for Rs. 18 and odd crores and the tribunal set aside his order saying that it was a foolish order; it was not correct.

रेलवे सैलूनों को दूसरे दर्ज के डिब्बों में बदलना

*727. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सैलूनों को दूसरे दर्जे के डिब्बों में बदल रही है, यदि हां, तो अब तक कितने सैलून बदले गये हैं और अभी कितने बदले जाने हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : चूंकि अधिकांश सैलून लकड़ी के बने हुये हैं, इसलिए व दूसरे दर्जे के नियमित सवारी डिब्बों में बदले जाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि दूसरे दर्जे के नियमित सवारी डिब्बे पूरी तरह इस्पात के बने कम वजन वाले इन्टीग्रल टाइप के होने चाहियें । फिर भी, कुछ सैलूनों को पर्यटक सवारी डिब्बों के रूप में बदलने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रामजी लाल सुमन : जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद सैलूनों का अभी भी जारी रहना कम से कम मेरे लिए चिन्ता का विषय है । अन्य क्षेत्रों में समानता के साथ-साथ रेलवे में भी समानता होनी चाहिए । आपातकाल में और उस से पूर्व मंत्रियों तथा सत्तारुढ़ पार्टी के लोगों द्वारा सेलूनों का उपयोग किया जाता था ; लेकिन मैं समझता हूं कि अब सैलूनों की कोई आवश्यकता नहीं है । मेरा सवाल यह है कि रेलवे सर्विस के प्रथम श्रेणी के तथा उस से बड़े पदों के